उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार@Government of Uttarakhand

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय Office of S.P. Vigilance Headquarter

सतर्कता अधिष्ठान/Vigilance Establishment

14 कारगी ग्रान्ट हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून उत्तराखण्ड KargigrantHaridwar Bypass Road DehradunUttarakhand

PH.& Fax00135-2721381, 1064,Email vighq-uk@nic.in

<u>प्रेस नोट</u>

अवर अभियन्ता (सिविल) नगर पालिका परिषद नैनीताल श्री ईश्वरी सिंह रौतेला को 20,000/रू0-रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुये मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

शिकायतकर्ता श्री दीपेन्द्र थापा पुत्र श्री सी0पी0थापा निवासी नैनीताल क्लब वा0न0-09 मल्लीताल नैनीताल ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में दिनांक 17.06.2016 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि श्री ईश्वरी सिंह रौतेला पुत्र श्री बिशन सिंह रौतेला निवासी रौतेला कोट पो0 जोस्यूड़ा तहसील धारी जिला नैनीताल हाल अवर अभियन्ता (सिविल) नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा शिकायतकर्ता के ठेकेदारी में किये गये कार्यों का बिल बनाने के एवज में 20,000/-रूपये उत्कोच की मांग की जा रही थी । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक: 20/06/2016 को ईश्वरी सिंह रौतेला उक्त को शिकायतकर्ता से 20,000/- रूपये उत्कोच ग्रहण करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार धारा 7/13 (1) डी सपठित 13(2) भ्र0नि0अधि0, 1988 बनाम् ईश्वरी सिंह रौतेला अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

दौराने विचारण मा0न्यायालय में अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा रानी, एवं पैरोकार कानि0 हेम भट्ट ,सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिंनाक 26/09/2023 अपर जिला सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी, नैनीताल श्रीमती नीलम रात्रा की अदालत द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुये धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 13 (1)डी सपठित धारा 13(2) के अपराध के लिये 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

"भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आयें और टोल फ्री नम्बर-1064 पर कॉल करें "

Scanned with OKEN Scanner